

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं 1793**

=====

रामवरण साह उर्फ भगलू साह, पिता-स्वर्गीय राम दयाल साह, स्थायी निवास, गाँव-परारी, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, ए/पी गाँव-ब्रह्ममौल, थाना-नानपुर, डाकघर-सिरसी, जिला-सीतामढ़ी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. अशोक कुमार, पिता-प्रमोद राय, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर-बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।
2. रीना देवी, पति-अशोक कुमार, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर-बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।
3. शैलेंद्र प्रसाद उर्फ शैलेंद्र प्रसाद यादव, पिता-प्रमोद राय, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।
4. सागर देवी, पति-स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर-बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।
5. चंदन कुमार, पिता-स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर-बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।
6. आनंद कुमार, पिता-देवेंद्र प्रसाद यादव, निवासी, गाँव-परारी, डाकघर-बखरी, अंचल-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी।

7. रंजू देवी, पति-कामेश्वर प्रसाद यादव, निवासी-कुरहर, डाकघर-धाधी, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी।

.... प्रत्यर्थी /ओं

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री उमाशंकर सिंह, अधिवक्ता

श्री कुमार प्रवीण,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता

=====

संविधान का अनुच्छेद 227 एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता - आदेश 1, नियम 10(2) - आदेश 1, नियम 10(2) दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत केवल आवश्यक एवं उचित पक्षकारों को वाद में जोड़ा जा सकता है। किसी भी वाद में केवल वही पक्षकार जोड़े जाते हैं जिनकी उपस्थिति न्यायिक निर्णय के लिए आवश्यक होती है। (संदर्भ: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.)लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (प्रा.)लिमिटेड, (2010) 7 एससीसी 417) (पैरा 6)

विभाजन वाद में याचिकाकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं - विभाजन वाद मुख्य रूप से सह-स्वामियों या सह-भागियों के बीच होता है। याचिकाकर्ता सह-स्वामी नहीं था, बल्कि केवल खतियान प्रविष्टि के आधार पर अधिकार का दावा कर रहा था, जो संपत्ति में स्वामित्व स्थापित नहीं करता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभाजन वाद में आवश्यक पक्षकार वे होते हैं जिनके बिना वाद का निर्णय प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता। उचित पक्षकार वे होते हैं जिनकी उपस्थिति से न्यायिक निर्णय में सहायता मिलती है, लेकिन याचिकाकर्ता

इस श्रेणी में नहीं आता। (संदर्भ: कस्तूरी बनाम अय्यामपेरुमल, (2005) 6 एससीसी 733)

(पैरा 8-9)

याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाए जाने से वाद का स्वरूप बदल जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा वादी के स्वामित्व अधिकार और उनके बिक्री विलेख को चुनौती दी जा रही थी। विभाजन वाद का उद्देश्य केवल संपत्ति के सह-स्वामियों के बीच बंटवारा सुनिश्चित करना होता है, न कि स्वामित्व संबंधी विवादों का समाधान करना। यदि याचिकाकर्ता को इस वाद में पक्षकार बनाया जाता, तो वाद का स्वरूप मूल रूप से स्वामित्व विवाद में बदल जाता, जो विभाजन वाद के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा करना विधिसम्मत नहीं होगा। (संदर्भ: विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स (प्रा) लिमिटेड बनाम तोश अपार्टमेंट्स (प्रा) लिमिटेड, (2012) 8 एससीसी 384) (पैरा 10)

याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय - न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के स्वामित्व को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र वाद दायर करना चाहिए। विभाजन वाद केवल सह-स्वामियों के बीच होता है और याचिकाकर्ता न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार है। यदि याचिकाकर्ता को वाद में जोड़ा जाता, तो इससे वाद का मूल स्वरूप ही बदल जाता। (संदर्भ: रमेश हीराचंद कुंदनमल बनाम मुंबई महानगरपालिका, (1992) 2 एससीसी 524) (पैरा 10)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

कैव जजमेंट

तारीख:16-07-2024

वर्तमान विविध याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विभाजन वाद संख्या 442/2015 में विद्वान उप न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित दिनांक 17.10.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त विभाजन वाद में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में याचिकाकर्ता को शामिल करने के लिए दायर दिनांक 08.02.2016 की याचिका को खारिज कर दिया था।

02. संक्षेप में कहा जाए तो, अभिलेख से जैसा कि प्रतीत होता है, पक्षों का मामला यह है कि प्रतिवादी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी हैं और उन्होंने गांव-परारी, थाना नंबर 286, डाकघर और जिला-सीतामढ़ी के *खाता संख्या 448, प्लॉट संख्या 2828*, क्षेत्रफल 53 डेसीमल वाली जमीन के अलावा अन्य जमीनों के बंटवारे के लिए बंटवारा वाद संख्या 442/2015 दायर किया है। *गांव-परारी* का *खाता संख्या 448, प्लॉट संख्या 2828*, क्षेत्रफल 98 डेसीमल याचिकाकर्ता रामवरन साह उर्फ भगलू साह के नाम पर दर्ज है। याचिकाकर्ता के पिता रामदयाल साह की वर्ष 1958 में बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी, उन्होंने याचिकाकर्ता, उनके पुत्र और एक पुत्री शारदा साह को पीछे छोड़ दिया था। याचिकाकर्ता और उसकी बहन के बीच मौखिक बंटवारा हुआ शारदा साह के हिस्से में आवंटित भूमि क्रमशः *खाता संख्या 562 और 563* के तहत अधिकार के अभिलेख में दर्ज

हुई। 07.02.2016 को याचिकाकर्ता को पता चला कि उनकी *खतियानी* जमीन को विभाजन वाद संख्या 442/2015 के वादी और प्रतिवादी द्वारा विभाजित किया जा रहा है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने आदेश-1, नियम 10(2) के तहत हस्तक्षेप आवेदन दायर किया ताकि उन्हें वाद में पक्षकार बनाया जा सके। वादियों ने याचिका पर जवाबी दावा करते हुए दायर किया कि उन्होंने क्रमशः 01 बीघा 13 कट्ठा और 03 धुर जमीन शारदा देवी पत्नी जानकी साह से पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1163 दिनांक 26.03.1965 और विक्रय विलेख संख्या 13405 दिनांक 31.07.1967 के माध्यम से खरीदी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने 17.10.2019 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। वर्तमान मामले में उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।

03. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय का विवादित आदेश टिकने लायक नहीं है और यह तथ्यों के गलत मूल्यांकन पर पारित एक त्रुटिपूर्ण आदेश है। विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी अभिलेख पर मौजूद सामग्री के यह अवलोकन किया कि मुक्तिनाथ यादव के पिता ने पहले भी पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिया था, जिसे गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, बेटे ने भी 10.08.2016 को एक और आवेदन दायर किया, जिसने अब *खतियानी रैयत* के वंशज भगलू साह को मैनेज कर लिया है और पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया है। अब, यह अवलोकन पूरी तरह से निराधार है। इसके अलावा, वादी द्वारा इस बात को कोई चुनौती नहीं दी गई है कि *खाता संख्या 319, प्लॉट संख्या 2828 और थाना संख्या 286* याचिकाकर्ता के नाम पर दर्ज नहीं है और न ही वादी ने इस तथ्य से इनकार किया है कि याचिकाकर्ता राम दयाल साह का पुत्र है। याचिकाकर्ता ने 16.08.2019 को दस्तावेज की सूची के माध्यम से *खतियान* की प्रमाणित प्रति दाखिल की है, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में कोई भी

चिट ऑफ पेपर दाखिल नहीं किया है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि शारदा देवी द्वारा निष्पादित किए गए सेल डीड संख्या 13405 दिनांक 31.07.1967 से पता चलता है कि उसमें उल्लिखित *खाता* संख्या पुराना 102 है और नया *खाता संख्या* 448 केवल 11 कट्ठा जमीन के लिए है, जिसे स्थानांतरित किया जा चुका है और यह वादी द्वारा दावा की गई जमीन से कम है। वादी और प्रतिवादी एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और फर्जी, जाली और अमान्य दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता की जमीन हड़पना चाहते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय को याचिकाकर्ता को प्लॉट संख्या 53 डिसमिल जमीन के संबंध में वादी और प्रतिवादियों के दावे का मुकाबला करने का अवसर देना चाहिए था। *खाता संख्या* 319 के अंतर्गत 2828 के संबंध में विचारणीय है क्योंकि यह इस याचिकाकर्ता का है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर विद्वान विचारण न्यायालय का अवलोकन निराधार और बिना किसी कारण के है और अन्यथा कानून के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आरोपित आदेश इस बारे में पूरी तरह से मौन है कि याचिकाकर्ता एक आवश्यक या उचित पक्ष है या नहीं। इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि सीमाओं और पक्षों की सद्भावना आदि के अधीन, अदालत सामान्य रूप से अभियोग के लिए आवेदन की अनुमति दे सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति उचित पक्ष पाया जाता है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारणीय आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता का मुकदमे में वास्तविक हित है और वह न केवल एक 'उचित' बल्कि एक 'आवश्यक' पक्ष भी है और यदि भविष्य में याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में कोई अंतिम निर्णय पारित किया जाता है, तो यह याचिकाकर्ता के अधिकार, शीर्षक और कब्जे को प्रभावित करेगा, जिससे उसे अपूरणीय क्षति होगी और साथ ही उसे

अपने अधिकार को लागू करने के लिए एक और मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे मुकदमेबाजी की बहुलता हो जाएगी। इसलिए, विचारणीय आदेश त्रुटिपूर्ण है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

04. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरोपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा याचिकाकर्ता की याचिका को विद्वान विचारण न्यायालय ने सही तरीके से खारिज कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त *खेसरा/प्लॉट* संख्या 2828 जो इस मामले में विषय वस्तु है, शारदा देवी से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.07.1967 के माध्यम से 11 *कट्ठा* क्षेत्रफल में क्रय किया गया है तथा विक्रय विलेख के क्रेता प्रमोद राय ने चकबंदी अधिकारी डुमरा के समक्ष चकबंदी अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत विविध वाद संख्या 152/1974 दायर किया तथा चकबंदी अधिकारी डुमरा ने पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर सर्वेक्षण प्रविष्टि में सुधार हेतु आदेश पारित किया तथा इस प्रकार प्रमोद राय एवं उनके भाई का नाम *खतियान* में दर्ज हो गया तथा वे दाखिल खारिज आदेश के आधार पर लगान का भुगतान कर रहे हैं तथा लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को *खाता संख्या* 319 के *प्लॉट संख्या* 2828 पर न तो मालिकाना हक मिला है और न ही कब्जा है और इस तरह विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.10.2019 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका को सही तरीके से खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मुक्ति नाथ यादव ने भी उक्त विभाजन वाद संख्या 442/2015 में उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन इसे दिनांक 02.06.2017 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, उन्होंने मंगलू साह उर्फ भगलू साह के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिन्होंने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने मामले के समर्थन में

कोई कागजात पेश नहीं किए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विभाजन के मुकदमे में समझौता याचिका दायर की गई है और हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता के पास इस मामले में पक्षकार बनने के लिए कोई मामला नहीं है, जिसमें पक्षों ने पहले ही समझौता कर लिया है, जो समझौता याचिका पर आदेश पारित करने के लिए अभी भी लंबित है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसे कायम रखने की आवश्यकता है।

05. मैंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया है। संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) इस प्रकार है: -

“ 10 (2).न्यायालय पक्षकारों को काट सकता है या जोड़ सकता है - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, तथा ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, काट दिया जाए, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में सम्मिलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से तथा पूर्ण रूप से निर्णय करने तथा निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए।

06. जाहिर है, न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने का पर्याप्त अधिकार है। यह पूरी तरह से न्यायालय के

विवेक पर निर्भर करता है और न्यायालय द्वारा मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय लेने और निपटाने के लिए उक्त विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। *मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (पी) लिमिटेड* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2010) 7 एससीसी 417 के पैरा-22 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"22. आइए हम पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10(2) के दायरे और दायरे पर विचार करें। उक्त उप-नियम किसी गैर-पक्षकार को पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि किसी कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षों को हटाने या जोड़ने के न्यायालय के न्यायिक विवेक के बारे में है। उप-नियम के तहत विवेक का प्रयोग या तो स्वप्रेरणा से या वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर या किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है। न्यायालय किसी भी पक्षकार को हटा सकता है जो अनुचित रूप से शामिल है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है यदि उसे लगता है कि वह आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष है। ऐसा हटाना या जोड़ना बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिन्हें न्यायालय लागू करना उचित समझे। संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निश्चित रूप से तर्क और निष्पक्षता के अनुसार कार्य करेगा, न कि सनक और मनमानी के अनुसार।"

(रेखांकित करें)

07. संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) में सामान्य नियम के लिए एक अपवाद बनाया गया है कि वादी अपने मुकदमे का स्वामी है, '*डोमिनस लिटिस*', और कोई भी व्यक्ति वादी की इच्छा के विरुद्ध पक्षकार बनने का दावा नहीं कर सकता। हालाँकि, संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत न्यायालय का विवेकाधिकार कुछ सीमाओं के अधीन है और इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग वादी की इच्छा के विरुद्ध तभी किया जा सकता है जब कोई पक्षकार आवश्यक या उचित पक्षकार पाया जाता है। इस प्रकार, न्यायालय वादी की इच्छा के विरुद्ध भी अभियोग लगाने का आदेश दे सकते हैं यदि किसी पक्षकार का संपत्ति के विषय में प्रत्यक्ष और कानूनी हित है। उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड बनाम तोश अपार्टमेंट्स (पी) लिमिटेड, (2012) 8 एससीसी 384* में रिपोर्ट किए गए मामले और *रमेश हिरणचंद कुंदनमल बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम, (1992) 2 एससीसी 524* में रिपोर्ट किए गए मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है।

08. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *कस्तूरी बनाम अय्यम्परुमल* के मामले में *(2005) 6 एससीसी 733* में रिपोर्ट की, माना कि 'आवश्यक पक्ष' वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर 'उचित पक्ष' वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि न्यायालय प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सके और उनका निपटारा कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

09. वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी और प्रतिवादी एक विभाजन मुकदमा लड़ रहे हैं और दावा किया जाता है कि दावा की गई संपत्ति वादी के पिता द्वारा क्रमशः वर्ष 1965 और 1967 में दो पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से खरीदी गई थी। याचिकाकर्ता अपने नाम पर मौजूद *खतियान प्रविष्टि* के आधार पर अपने पक्षकार होने का दावा करता है, लेकिन सह-हिस्सेदारों के बीच दावा की गई संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किए गए विभाजन मुकदमे में याचिकाकर्ता की स्थिति क्या होगी, जो दावा करते हैं कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं? बिक्री-पत्र जाली या मनगढ़ंत हैं या नहीं, यह विभाजन मुकदमे का विषय नहीं है क्योंकि विभाजन मुकदमा संख्या 442/2015 के मूल पक्षकारों के पास उक्त मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, *खतियान* में प्रविष्टि, *स्वतः* ही, प्रविष्टि धारक के पक्ष में कोई शीर्षक नहीं बनाती है।

10. जहां तक वादी और प्रतिवादियों के विभाजन के मुकदमे का सवाल है, याचिकाकर्ता को पक्षकारों के मुकदमे में कोई अधिकार नहीं है और वह कार्यवाही से अनजान है। याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में असमर्थ नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता कोई 'आवश्यक' पक्ष नहीं है। क्या याचिकाकर्ता की कोई आवश्यकता है कि न्यायालय मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और उन्हें निपटाने में सक्षम हो, यह मामले का दूसरा पहलू है। याचिकाकर्ता पक्षों के शीर्षक को चुनौती देता है। बिक्री-पत्र की वैधता का प्रश्न न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए, विभाजन के मुकदमे में याचिकाकर्ता की उपस्थिति किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी और न्यायालय के लिए मुकदमे में शामिल प्रश्नों पर पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए आवश्यक या सहायक नहीं होगी। मुकदमे में याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाने से मुकदमे की प्रकृति पूरी तरह बदल जाएगी और विभाजन के लिए दायर मुकदमे में पक्षों के शीर्षक को चुनौती इस तरह से नहीं दी जा सकती। यदि

याचिकाकर्ता *खतियान प्रविष्टि* के आधार पर शीर्षक का दावा करता है, तो उसे सह-हिस्सेदारों के खिलाफ विभाजन के लिए दायर वादी के मुकदमे में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को एक स्वतंत्र मुकदमा लाने की आवश्यकता होगी क्योंकि उसके पास कार्रवाई का एक पूरी तरह से अलग कारण है। याचिकाकर्ता खुद को *खतियानी रैयत* में होने का दावा करता है और आगे दावा करता है कि वादी के पिता के बिक्री-पत्र जाली, मनगढ़ंत और शून्य दस्तावेज हैं। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को वादी की इच्छा के खिलाफ खुद को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

11. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मुझे आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं दिखती, हालांकि यह आदेश खुशी से नहीं लिखा गया है, फिर भी यह एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए, विभाजन वाद संख्या 442/2015 में विद्वान उप न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित दिनांक 17.10.2019 के आरोपित आदेश की पुष्टि की जाती है।

12. तदनुसार, वर्तमान दीवानी विविध याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

